सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 10 चैत्र, 1944 (श०) / 31 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 89

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	09
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	30
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	18
(4)	कृषि विभाग	15
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	07
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	02
(7)	सहकारिता विभाग	08
	कुल योग --	89

बीज उपलब्ध कराना

*3797. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य कृषि प्रधान प्रदेश है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार के किसानों को सभी फसलों पर अनुदान एवं मुफ्त में बीज देने का प्रावधान है, परन्तु पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों को सही समय पर बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसान बाजार से महंगे दामों पर नकली बीज खरीदने पर विवश हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार विज्ञापन के माध्यम से किसानों को अवगत कराते हुये ससमय बिहार के सभी प्रखंडों में बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पानी सप्लाई कराना

*3798. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखंड बाजपट्टी के बाचोपट्टी नरहा पंचायत के बाबू नरहा ग्राम में वर्ष 2015 में दो करोड़ रुपये की लागत राशि से 65 हजार लीटर क्षमता का निर्मित पानी टंकी से स्थापनाकाल से ही आपूर्ति बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पानी टंकी से पानी का सप्लाई कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

अनुमति देना

*3799. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि हल्का नम्बर 1, तौजी नम्बर 5070, थाना नम्बर 140, 141 हमीदपुर, दीघा दियारा, पटना के 4 बीघा 14 कट्ठा 6 धूर निबंधित जमीन का लगान वर्ष 1953 से 2000 तक वसीकाधारियों द्वारा जमा किया गया है, जिस पर भू-माफिया द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान, होटल, दुकान बनाकर कमाई का जरिया बना लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अंशतः स्वीकारात्मक । समाहर्ता, पटना के प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह कि थाना नम्बर 140, मैनपुरा दियारा एवं थाना नम्बर 141, दीघा दियारा के नाम से जाना जाता है, जो असर्वेक्षित सरकारी भूमि है । उक्त भूमि का खाता, खेसरा एवं खतियान नहीं बना है, जिसके कारण निबंधित वसीका इत्यादि के आधार पर स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में कठिनाई है ।

परन्तु उक्त क्षेत्रान्तर्गत कुर्जी मोड़ के समीप अवस्थित होटल, दुकान इत्यादि के रूप में किये गये अतिक्रमण को खाली कराने हेतु अतिक्रमणवाद संख्या 13/2012-13 संधारित कर कार्रवाई किया गया एवं दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 को अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा बाउंड्रीवाल के रूप में अतिक्रमण को तोड़ दिया गया । उक्त अतिक्रमण की कार्रवाई के विरुद्ध श्री अमरनाथ पाण्डेय, पिता-स्व० रघुनाथ पाण्डेय, सा०-पाण्डेय प्लाजा, गाँधी मैदान, पटना के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 906/2014, अमरनाथ पाण्डेय एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया । उक्त CWJC No. 906/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को आदेश पारित कर

अतिक्रमण वाद संख्या 13/2012-13 में निर्गत नोटिस एवं पारित आदेश सहित Entire Proceeding को निरस्त कर दिया गया । पारित आदेश के मुख्य कार्यकारी अंश नीचे अंकित किया जा रहा है :-- In result, the entire proceedings arising out of Encroachment Case No. 13 of 2012-13 including the notices issued and the orders passed thereunder are set aside. The writ petition is allowed. The interlocutory applications stands disposed of.

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध सरकार की ओर से L.P.A No. 1326/2016, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम अमरनाथ पाण्डेय एवं अन्य दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 906/2014 में दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 के पारित आदेश को Stay किया गया है । पारित आदेश के मुख्य कार्यकारी अंश नीचे अंकित किया जा रहा है :--

In view of the same, the impugned order, dated 14 December, 2015 shall remain stayed, till further order.

इस प्रकार CWJC No. 906/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को आदेश पारित कर अतिक्रमणवाद संख्या 13/2012-13 में निर्गत नोटिस एवं पारित आदेश सहित Entire Proceeding को निरस्त कर दिये जाने के कारण उक्त आदेश के विरुद्ध सरकार की ओर से दायर L.P.A No. 1326/2016, माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

निर्माण कराना

*3800. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी नगर निगम क्षेत्राधीन गिलेशन बाजार स्थित के सब्जी बाजार में शेड एवं प्लेटफार्म का निर्माण कराने तथा 16 जगहों पर वेंडिंग जोन का निर्माण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पिछले 5 वर्षों से लगातार विभाग से अनुरोध किया जा रहा है, परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक गिलेशन बाजार स्थित सब्जी बाजार में शेड, प्लेटफार्म एवं वेंडिंग जोन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । नगर निगम क्षेत्राधीन गिलेशन बाजार स्थित सब्जी बाजार में शेड एवं प्लेटफार्म का निर्माण तथा वेंडिंग जोन का निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राक्कलन मानचित्र एवं तकनीकी प्रतिवेदन सहित राशि के आवंटन हेतु नगर निगम, मधुबनी के पत्रांक 810, दिनांक 4 जुलाई, 2018 द्वारा अनुरोध किया गया था । प्राप्त प्राक्कलन में त्रुटि के निराकरण हेतु विभागीय पत्रांक 2695, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 एवं पत्रांक 2990, दिनांक 19 नवम्बर, 2019 से निदेश दिया गया था । प्रतिवेदन आदिनांक अप्राप्त है । नगर निगम, मधुबनी के पत्रांक 141, दिनांक 22 फरवरी, 2020 से वेंडिंग जोन के निर्माण के लिये संशोधित प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा पत्रांक 67, दिनांक 22 फरवरी, 2020 से अधीक्षण अभियंता, बुडको को प्रेषित किया गया है तथा इसकी सूचना विभाग को दी गयी है । इसी क्रम में विभागीय पत्रांक 1155, दिनांक 11 मार्च, 2022 द्वारा प्रबंध निदेशक, बुडको से अनुरोध किया गया है कि अपने स्तर से अधीक्षण अभियंता, बुडको को उक्त प्राक्कलन पर अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर नगर निगम, मधुबनी को उपलब्ध कराये । तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त वेंडिंग जोन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की जायेगी ।

बाईपास सड़क का निर्माण

*3801. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा के अधीन नगर पंचायत आलमनगर प्रखंड मुख्यालय, आलमनगर में F.C. 9 का एक बड़ा गोदाम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यातायात में सुविधा हेतु F.C. 9 तक जाने के लिए तथा भीड़ से निजात पाने हेतु एक बाईपास सड़क की जरूरत है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गोदाम तक जाने के लिए एक बाईपास सड़क बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देना

*3802. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पशु बीमा कराने के लिए सरकार के तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता है, जिससे अचानक पशु के मृत्यु होने पर बीमा का लाभ नहीं मिलता है और बीमा में भारी रकम वहन करना पड़ता है, यदि हाँ, तो पशु बीमा हेतु अनुदान देना चाहती है, नहीं, तो कृयों ?

जल निकासी की व्यवस्था करना

*3803. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखण्ड के सांख पंचायत में पतिलवा में 40 हेक्टयर, निखरा में 45 हेक्टेयर, वगलगारी 60 हेक्टेयर एवं जान में 40 हेक्टेयर वर्षा का पानी जमाव होने तथा उक्त जमीन से जल निकासी के अभाव में किसानों का कृषि कार्य बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यालय प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय सदर द्वारा पत्रांक 255, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के आलोक में जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि नगर कैथ पंचायत में जाकर कोला नदी में मणिकपुर के सामने से उक्त पंचायत के जल निकसी का समाधान किया जा सकता है, जिसका अनुपालन अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर सांख पंचायत के उक्त जमीन से जल निकासी की व्यवस्था कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड बनाना

*3804. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्य यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया, ईशुआपुर एवं पानापुर प्रखंडों के पंचायतों में गरीब भूमिहीन राशन कार्ड के अभाव में राशन से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में सर्वेक्षण कराकर छूटे हुए गरीबों का राशन कार्ड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। तरैया प्रखंड में कुल 18665, पानापुर प्रखंड में कुल 20154 तथा इसुआपुर प्रखंड में कुल 19673 राशन कार्ड निर्गत है। पात्र लाभुकों का राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् रूप से चल रही है। इसके अतिरिक्त पानापुर प्रखंड में 1192, इसुआपुर प्रखंड में 198 और तरैया प्रखंड में 172 आवेदनों की जाँच कर राशन कार्ड निर्गमन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सरकार द्वारा वर्ष 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका एवं शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से सर्वेक्षण कराते हुए पात्र लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत किया गया है। पात्र लाभुकों को राशन कार्ड बनाने हेतु ऑफ लाइन मोड में आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर आवेदन देने के साथ-साथ विभागीय स्तर से ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही आमलोगों के बीच इसका निरंतर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

कार्रवाई करना

*3805. श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी अंचल के भैरवा उग्रनाथ शिवमंदिर के जमीन एवं सरकारी पोखभिंडा के कुछ भाग पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3806. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड अरियरी पंचायत चोढ़दरगाह, ग्राम-अकबरपुर वार्ड नम्बर-14 में पेयजल आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में नवनिर्मित जलमीनार से पाइप लाइन का विस्तार नहीं करने के कारण पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गांव वार्ड नं0 14 में बना जलमीनार से पाइप लाइन विस्तार के साथ पेयजल की आपूर्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। शेखपुरा जिला अंतर्गत प्रखंड अरियरी, पंचायत-चोढ़दरगाह, ग्राम-अकबरपुर, वार्ड नं0 14 में वित्तीय वर्ष 2015-16 में सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया गया था। योजना अंतर्गत प्रावधानित स्टैण्ड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सात निश्चय ''हर घर नल का जल'' योजना अंतर्गत वार्डस्तरीय जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया गया है, जिससे उक्त वार्ड को पूर्णतः आच्छादित करते हुए अवस्थित कुल 131 घरों में गृह जल संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

पुल निर्माण कराना

*3807. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर नगर स्थित ताड़का नाला पर पूर्व से निर्मित पुल संकरा है, जिसके कारण यातायात के आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ताड़का नाला से पी०पी० रोड होते हुये सारीमपुर गंगा नदी पुल तक पथ की लम्बाई लगभग 22 किलो मीटर है, जो मरम्मत के अभाव में जर्जर है जबकि उक्त पथ नगर परिषद् द्वारा मरम्मती नहीं करायी जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सम्पूर्ण पथ को पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित कराने के साथ साथ उक्त पुल को चौड़ाई में पुनः निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*3808. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा नगर परिषद् से नेहरू चौक के पास अशोक सम्राट हॉल निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद आजतक अशोक सम्राट हॉल का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर अशोक सम्राट हॉल को कबतक बनवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3809. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर अंचल अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No. 16476/2019 के आदेश का हवाला देते हुये थाना संख्या 331, खाता संख्या 01/104 में सन् 1972 से प्रशासन द्वारा ही बसाये गये पत्थर कुटवा, दलित व भूमिहीन लोगों के सैकड़ों घरों को जेसीबी से ढ़हा दिया गया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त केस में मात्र 10 लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है तथा कुल रकबा 10.5 डिसमिल भूमि से संबंधित है, यदि हाँ, तो सरकार गलत तरीके से मकान तोड़े जाने के एवज में भूमिहीन परिवारों को उचित मुआवजे का भुगतान करने तथा जाँच कर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कराना

*3810. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी नगर क्षेत्र में सड़क एवं नाला निर्माण का कार्य अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पत्र से संबंधित कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मछली उत्पादन बढ़ाना

*3811. श्री विजय शंकर दुबे (क्षेत्र संख्या-112 महाराजगंज)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत घाघरा, बुढ़ी गंडक, दाहा नदी सहित जलकरों

से मात्र 8 हजार मीट्रिक टन वार्षिक मछली का उत्पादन हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नदियों एवं जलकरों के क्षेत्रफल के अनुरूप सीवान जिला में मछली का उत्पादन औसत से कम हो रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिये राज्य सरकार के द्वारा विकासोन्मुख योजना जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत नये तालाबों का निर्माण तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, मुख्यमंत्री आर्द्र जल क्षेत्र के विकास योजना, उन्नत नस्ल के मत्स्य अंगुलिकाओं के वितरण की योजना आदि सीवान जिला में नहीं चलायी जा रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सीवान जिला के महाराजगंज, भगवानपुर हाट प्रखण्ड सहित सम्पूर्ण जिला में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन-सी योजना प्रारंभ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2020-21 में जिले का मत्स्य उत्पादन सभी स्त्रो से 10.54 हजार मीट्रिक टन हुआ था, चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य 10.95 हजार मीट्रिक टन के विरुद्ध माह फरवरी, 2022 तक 10.10 हजार मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन प्राप्त हुआ है।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी जिलों में सीवान जिला सहित केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न मात्स्यिकी विकासन्मुख योजना संचालित है। वर्तमान में RKVY की योजना कार्यान्वित नहीं है ।

(4) मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, जलाशय में अंगुलिकाओं का संचयन, नया तालाब का निर्माण, रियपरिंग तालाब का निर्माण, इनपुट योजना, बायोफ्लॉक तालाब निर्माण, मत्स्य विपणन योजना के अन्तर्गत मोटर साईकिल आईस बॉक्स सहित तीन पहिया वाहन आईस बॉक्स सहित, फिड मील का अधिष्ठापन, मछुआरों का प्रशिक्षण, मत्स्य हैचरी का निर्माण, मत्स्य फसल बीमा योजना कार्यान्वित है। यह सभी योजनाएँ सीवान जिला सहित राज्य के सभी जिलों में चलाई जा रही है।

साफ़-सफाई कराना

*3812. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के बेतिया नगर निगम में वर्ष 2021 में सम्मिलित हुये गुनौली एवं पूर्वी करगहिया एवं अन्य में साफ-सफाई कार्य नहीं कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों में साफ-सफाई का कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति कराना

*3813. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआँव के पशु अस्पताल अगिआँव का अपना भवन नहीं है तथा अस्पताल किराये के मकान में चलता है, साथ ही कोई स्थायी पशु चिकित्सक नहीं रहने के कारण पशुओं की चिकित्सा कराने में आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार अगिआँव पशु अस्पताल के लिये भवन बनाने एवं पशु चिकित्सक की नियुक्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंचलों को जोड़ना

*3814. श्री अवध बिहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अंतर्गत पचलखी पंचायत सीवान सदर अंचल में पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 1995 के पूर्व पचलखी पंचायत का राजस्व एवं प्रखंड का कार्य मैरवा प्रखंड एवं मैरवा अंचल से होता था परंतु वर्तमान में पचलखी पंचायत, सीवान सदर प्रखंड में शामिल है, जबकि राजस्व का कार्य मैरवा अंचल से चल रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पचलखी पंचायत से मैरवा अंचल की दूरी करीब 25 कि०मी० होने के कारण राजस्व कार्य मैरवा अंचल जाकर कराने में लोगों को दिक्कत होती है, जबकि प्रखंड सीवान सदर में शामिल है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पचलखी पंचायत के राजस्व का कार्य मैरवा अंचल से हटाकर सीवान सदर अंचल में जोड़ना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) स्वीकारात्म्क है ।

(4) समाहर्ता, सीवान से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उनके पत्रांक 54, दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा पचलखी पंचायत के राजस्व कार्यों को मैरवा अंचल से हटाकर सीवान अंचल में हस्तांतरित करने से संबंधित प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया है

प्रस्ताव पर विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी ।

प्रमाण-पत्र जारी करना

*3815. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पैक्स अध्यक्ष की जो ट्रेनिंग होती है उसका कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पैक्स अध्यक्षों के ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़कों एवं गलियों का उच्चीकरण

*3816. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के नगर परिषद् क्षेत्र खगड़िया शहर का पोस्ट ऑफिस रोड, मिल रोड, मुर्गियाचक रोड एवं राजेन्द्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक की सड़कें नीची होने के कारण खगड़िया नगर क्षेत्र में सालोंभर जल-जमाव रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खगड़िया नगर परिषद् क्षेत्र की उक्त सड़कों का उच्चीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिला के नगर परिषद् खगड़िया क्षेत्रान्तर्गत पोस्ट ऑफिस रोड, मिल रोड, मुर्गियाचक रोड एवं राजेन्द्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक की सड़कों पर जल-जमाव केवल भारी वर्षा के कारण होता है जो बरसात होने तक ही रहता है उसके बाद पानी की निकासी नाले के माध्यम से एक घंटे के अन्दर हो जाता है । यदि कहीं जल-जमाव होता है तो पम्पसेट के माध्यम से निकासी करा दी जाती है । वर्णित सड़क ऊँचीकरण करने पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद संख्या 14831/2009 के पारित आदेश में रोक लगा दिया गया है । सड़क ऊँचीकरण से आम नागरिकों के घरों में पानी जाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है ।

दर्जा दिलाना

*3817. <u>डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)</u>--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सभी अर्हताएँ को पूरा करने के बावजूद आजतक सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत, सोनपुर को नगर परिषद् का दर्जा नहीं मिला है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर पंचायत, सोनपुर को नगर परिषद् का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जी०आई० टैग देना

*3818. <u>श्री अवधेश सिंह (क्षेत्र संख्या-123 हाजीपुर)</u>--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के हाजीपुर में अलपान, चिनिया, कोठिया एवं मालभोग केला की खेती वृहत् पैमाने पर होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हाजीपुर के केला को वैश्विक पहचान जी०आई० टैग नहीं मिलने के कारण किसानों को केला का उचित कीमत नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हाजीपुर के केला को जी०आई० टैग के लिये प्रस्तावित कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*3819. <u>श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)</u>--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के समस्तीपुर शहर में बारह पत्थर स्थित जननायक कर्पूरी सभागार के रख-रखाव एवं साउंड प्रूफ नहीं होने से लोगों को सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यक्रम आयोजित करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सभागार के रख-रखाव की व्यवस्था करने एवं सभागार को साउंड प्रूफ बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दखल-कब्जा दिलाना

*3820. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भूमि सुधार बी0पी0पी0एच0टी0 ऐक्ट के विरुद्ध सुपौल जिलान्तर्गत मरौना अंचल स्थित ग्राम-बसखोड़ा में मो0 रूपनी जौजे सुबालाल खाता संख्या 171, खेसरा संख्या 224 एवं 225 के जमाबंदी सर्वे 199, रकवा 1.400 + 1.06 कुल 2 बीघा 10 धूर निजी भूमि में से 19 कट्ठा 14 धूर भूमि मरौना अंचल अभिलेख संख्या 34/2006-07 के द्वारा तत्कालिक अंचलाधिकारी द्वारा गलत तरीके से बीस महादलित परिवारों को वासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया है, जबकि उक्त मोस्मात के वंशज द्वारा अभीतक सरकार को भूमि लगान दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अंचलाधिकारी द्वारा गलत तरीके से निर्गत किया गया वासगीत पर्चा को निरस्त करते हुये भू-स्वामियों को भूमि पर दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति योजना का लाभ

*3821. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत प्रखंड झंझारपुर के निरभापुर एवं राम खेतारी ग्राम में लखनौर प्रखंड के मनमोहन एवं अमारूपी में तथा मधेपुर प्रखंड के रजौर एवं वीरपुर में मिनी (लघु) जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु स्वीकृति 2013 में मिली थी, जबकि उक्त सभी ग्रामों में इस योजना के तहत अभीतक जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्रामों में हर घर मिनी (लघु) जलापूर्ति योजना का लाभ कबतक दिलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शिविर लगाना

*3822. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा अंचल के 17 पंचायत एवं एक नगर परिषद् में दो हल्का कर्मचारी धैलाढ अंचल के 9 पंचायतों में दो हल्का कर्मचारी, गम्हरिया पंचायत के 8 पंचायत में दो हल्का कर्मचारी तथा मुरलीगंज अंचल के 17 पंचायत में 3 हल्का कर्मचारी ही पदस्थापित है, जिससे आमलोगों को दाखिल-खारिज कराने एवं मालगुजारी आदि जमा कराने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रत्येक महीना में प्रत्येक अंचल में दो दिन निर्धारित कर प्राप्त आवेदन के आलोक में दाखिल-खारिज कराने एवं मालगुजारी जमा कराने हेतु पंचायत स्तर पर शिविर लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3823. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नगर परिषद्, डिहरी डालमियानगर के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वितीय वर्ष 2021-22 में नगर परिषद् में खरीदी गई उपस्कर यंत्र-संयंत्र में भारी गड़बड़ी की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा लिखित जानकारी माँगने पर नगर परिषद् द्वारा खरीदी गई उपस्कर यंत्र-संयंत्र का प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराया गया है तथा चार महीना के बाद कार्यपालक पदाधिकारी के पत्रांक 146, दिनांक 31 जनवरी, 2022 से विभाग से मार्ग दर्शन की माँग की गई है, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

सड़क का पक्कीकरण

*3824. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा नगर परिषद्, जबलपुर, वार्ड नम्बर 17, संथाल टोला से चिमनी बाजार जाने वाली सड़क कच्ची होने के कारण आमजनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कच्ची सड़क का पक्कीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फसल बीमा क्लेम देना

*3825. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत किसानों का एम0एन0ए0एस0 योजना के अन्तर्गत फसल बीमा क्लेम लम्बित है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

खाद मुहैया कराना

*3826. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में यूरिया खाद की किल्लत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड में किसानों को समय पर यूरिया खाद नहीं मिलने पर किसानों को भारी कठिनाई हुई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसानों को जो खाद दिया जा रहा है वह निर्धारित मूल्य पर मिलना है, परंतु प्राईवेट दुकानदार वही खाद मंहगे दामों पर किसानों को उपलब्ध कराये हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड के किसानों को खाद मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ऑनलाइन सदस्य बनाना

*3827. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में पैक्स में सदस्यता अभियान ऑनलाइन चलाया जाता है जिसमें पूर्ण पारदर्शिता से किसान सदस्य बनते है, जबकि प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में पैक्स के तर्ज पर सदस्यता अभियान ऑनलाइन नहीं चलाया जाता है, जिससे मत्स्यजीवी को सदस्य बनने में कठिनाई नहीं होती है, यदि हाँ, तो सरकार पैक्स के तर्ज पर प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में परंपरागत मछुआरों को कबतक ऑनलाइन सदस्य बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पैक्स में सदस्यता हेतु इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन करने के लिये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें राज्य सरकार के स्तर से कोई अभियान नहीं चलाया जाता है ।

बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम 7 के तहत सहकारी समिति में सदस्यता प्रदान करने संबंधी प्रावधान उल्लेखित है । उक्त प्रावधान के तहत अर्हताधारी व्यक्ति को समिति की प्रबंध समिति के समक्ष आवेदन करना होता है तथा समिति की प्रबंध समिति ही सदस्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकार है ।

पैक्स के तर्ज पर प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के कार्यक्षेत्र में मछली मारने का काम करने वाले इच्छुक मछुआरों को सदस्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा App विकसित कर दिया गया है, जिसका लिंक https://epacs.bih.nic.in/fishery/login.aspx है ।

कार्रवाई करना

*3828. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहर कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के अधिनियम संख्या 28(2) को पूर्ण रूप से शिक्षा, शोध अथवा विस्तार/प्रसार कार्यों में लगे शिक्षकों/वैज्ञानिकों/समकक्षों के लिए लागू किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 24 मार्च, 2021 को विज्ञापित एवं 12 जनवरी, 2022 को पुनर्विज्ञापित कैरियर एडवांसमेंट स्किम-2006 के लिए निर्धारित मूल्यांकन मानदंड (ए0पी0आई0 स्कोर कार्ड) में शिक्षण/शोध/प्रसार यानी विस्तार के लिए 100 अंक में से मात्र 25/30 अंक ही निर्धारित किया गया है, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

वासगीत पर्चा उपलब्ध कराना

*3829. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत बिक्रमगंज नगर परिषद् के गुलजारबाग मोहल्ले में सरकारी जमीन पर 25 वर्ष से नट जाति के लोग निवास करते है, जिनको अभी तक वासगीत पर्चा नहीं देने के कारण सरकारी लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मोहल्ले मे रह रहे नट जाति के लोगों को भूमि का वासगीत पर्चा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्ता, रोहतास के प्रतिवेदनानुसार अंचल कार्यालय, बिक्रमगंज के क्षेत्रातंर्गत मौजा बिक्रमगंज में गुलजारबाग मोहल्ला अवस्थित है जो नगर परिषद् बिक्रमगंज के वार्ड नं0-27 में है।

जिस भूमि पर नट जाति के लोग आवास करते है वह बिहार सरकार की भूमि नहीं है, बल्कि रैयती भूमि है जिसका मौजा बिक्रमगंज, थाना नं0 525, खाता नं0-460, खेसरा नं0 790, रकबा-17 डी0 किस्म जमीन भीठ दो आम बाग है।

नगर परिषद् सीमा क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण वासगीत पर्चा निर्गत करना विधि सम्मत नहीं है।

मुक्त कराना

*3830. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम का वार्ड 10 पुराना, नया-17 धोबईया पोखर का खेसरा नं0-111 जो सरकारी जमीन है, उसका भू-माफियाओं के द्वारा प्रशासनिक मिलीभगत से निबंधन, दाखिल-खारीज कराकर बेच दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन को कबतक मुक्त कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्निर्माण कराना

*3831. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज जमालुद्दीन चक के ग्राम-गोविंदपुर वार्ड नं0 12 में बना नाला काफी पुराना एवं कई स्थानों से टुटा-फूटा है, जिसके कारण इस इलाके में जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आमजनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उक्त नाले का पुनर्निर्माण आगामी बरसात के पूर्व कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा एवं मानदेय देना

*3832. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में सुधा डेयरी में एक वर्ष से अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रोन्नति एवं कुशल श्रमिक का दर्जा अभीतक नहीं दिया गया है , यदि हाँ, तो क्या सरकार एक वर्ष से अधिक कार्य करने वाले सुधा डेयरी में कार्यरत श्रमिकों को प्रोन्नति के साथ-साथ कुशल श्रमिक का दर्जा एवं मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ससमय दाखिल-खारिज कराना

*3833. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना सदर अंचल में दाखिल-खारिज के 900 मामले प्रक्रियाधीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज के लिए आवेदन के निर्धारित 75 दिन होने के बावजूद कुंदन कुमार, पिता-देवेन्द्र प्रसाद सिंह सहित 300 लोगों का दाखिल-खारिज अभीतक नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी अंचलाधिकारी पर कठोर कार्रवाई कर नियमानुसार 75 दिनों में दाखिल-खारिज प्रक्रिया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दाखिल कब्जा दिलाना

*3834. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के ग्राम लोदीपुर ग्राम पंचायत पसही फरिदपुर, अंचल फुलवारी शरीफ द्वारा श्री संजय मांझी, पिता-साधु मांझी, चन्दन कुमार, पिता-लक्ष्मी मांझी सहित 80 परिवारों को जमीन का पर्चा 2010 में दिये जाने के बावजूद अभीतक पर्चाधारियों को दलख-कब्जा नहीं दिलाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पर्चाधारियों को कबतक दखल-कब्जा दिलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्ता, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार टोला-लोदीपुर, पंचायत-रामपुर फरीदपुर में गृह स्थल योजना अन्तर्गत बन्दोबस्ती वाद सं0 08/2009-10 के तहत् संजय मांझी पिता-साधु मांझी, चंदन कुमार पिता-लक्ष्मी मांझी सहित 80 परिवारों को जमीन का परवाना पर्चा वितरण किया गया था। वर्तमान में जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त पर्चाधारियों में से 44 पर्चाधारी राजस्व ग्राम-लोदीपुर में अपनी-अपनी चिन्हित भूमि पर आवासित हैं। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शेष 36 परिवार अन्यत्र अपना आवास बनाकर रह रहे हैं। उक्त सभी 36 बेदखल वासविहीन परिवारों को चिन्हित कर ऑपरेशन दखल-देहानी के तहत् निर्गत पर्चा वाली भूमि पर पुनः सीमांकन कर 30-40 दिन के अन्दर दलख दिलाने की कार्रवाई की जाएगी ।

पाइप एवं नल लगवाना

*3835. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड मोहड़ा के ग्राम-गेहलौर वार्ड नं० 10 में नल-जल योजना के तहत बोरिंग किया गया, परंतु बोरिंग के बाद ना कहीं गली में पाइप लगाया गया है और ना कहीं नल की व्यवस्था की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में संवेदक पर कार्रवाई करते हुये गली में पाइप एवं नल लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*3836. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नल-जल योजना के अन्तर्गत पंचायतों में पंपो के निर्बाध संचालन और इसमें मिली शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर लगभग 42 हजार पंप ऑपरेटर कार्यरत हैं तथा कनीय अभियंताओं को प्रत्येक माह सात-आठ तारीख के पहले पम्प ऑपरेटरों के साथ बैठक करना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

रिक्त पदों को भरना

*3837. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग के विज्ञापन संख्या 02010115, दिनांक 5 मई, 2015 के द्वारा कृषि समन्वयक की बहाली में 1,000 पद रिक्त रह गया था एवं इसके अतिरिक्त BAO (Block Agriculture Officer) का पौधा संरक्षण, रसायन क्षेत्र सहायक माप तौल निरीक्षक का कुल मिलाकर 2,000 पद रिक्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषि विभाग में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सूची उपलब्ध करवाना

*3838. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत अतरी विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में विभाग द्वारा चापाकल ग्रामीणों के पानी पीने के लिये लगाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चापाकलों की सूची प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी से 6 माह पूर्व मांगे जाने के बावजूद अभियंता द्वारा सूची उपलब्ध नहीं कराया गया और बिना प्रश्नकर्ता सदस्य के जानकारी के ही उक्त विधान सभा क्षेत्र में चापाकल लगाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये लगाये गये चापाकलों की सूची उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3839. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल के शेरघाटी, डोभी एवं आमस प्रखंडों के पैक्स अध्यक्ष द्वारा पैक्स का सदस्य बनाने में अनियमितता बरती गयी, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यात्री पड़ाव का निर्माण

*3840. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के बरबीघा प्रखंड अन्तर्गत बरबीघा, मोकामा, वाया सरमेरा पथ पर बरबीघा थाना चौक से सटे बस पड़ाव के पास वर्ष 1993 ई० में निर्मित यात्री पड़ाव को नगर परिषद्, बरबीघा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2019 ई० में तोड़वा दिया गया है, जिससे यात्रियों को गर्मी, जाड़ा एवं बरसात के मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुये यात्रियों की सुविधाओं के लिये दूसरा यात्री पड़ाव का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3841. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''सड़क पर गन्दगी फैलाने को नप रखेगी डस्टबिन'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अन्तर्गत ठोस कचरे के संग्रहण एवं परिवहन कार्यों से संबंधित मार्गदर्शिका संचिका संख्या 03/SBM-01-13/2016/1352/न०वि०एवं आ०वि०, दिनांक 28 मई, 2019 में स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी डुमराँव नगर परिषद् द्वारा प्रत्येक घर में एक-एक नीला एवं हरा डस्टबिन उपलब्ध कराने के बजाये मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुये कम्यूनिटी बिन्स को हटाने की जगह बड़े पैमाने पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से अबतक कम्यूनिटी डस्टबिन खरीद कर सड़क किनारे लगाये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुये पाँच नये ट्रैक्टर, 30 से अधिक ई-रिक्शा और कम्यूनिटी बिन्स की खरीदारी में घोर अनियमितता की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मार्गदर्शिका में स्पष्ट निर्देश के बावजूद सरकारी राशि का दुरूपयोग करने वाले संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*3842. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड के दानापुर (लालकोठी) संजय नगर वार्ड नं० 03 में नाला नहीं रहने के कारण जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, जिससे वहां के राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में सड़क एवं जल निकासी हेतु नाला का निर्माण आगामी बरसात के पूर्व कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3843. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ०जा०))--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में वर्ष 2021-22 में उसना चावल को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा सभी जिला के जिला पदाधिकारी एवं सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के जिला पदाधिकारी एवं सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा उसना चावल को पीछे करते हुये अरवा चावल को आगे करने का कृत किया गया है, जिससे उसना चावल के मिल मालिकों को काफी क्षति हुयी है और मजदूरों को बैठाकर बिजली बिल एवं वेतन का भुगतान किया गया है, जिससे मिल मालिकों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उसना मिल मालिकों को आर्थिक तंगी से उबारने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन देना

*3844. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमिहीनों, दलित, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के खगड़िया प्रखंडान्तर्गत ग्रीम पंचायत लाभगाँव में खाता 468, 222, 268, 324, 180, 324, 324, 19, खेसरा-194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 अधिग्रहित तथा सरकारी भूमि सहित कुल साढ़े उनचास बिगहा जमीन पर 700 भूमिहीन परिवार 35 वर्षों बसे हुये है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित जमीन पर बसे परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क-सह-नाला का निर्माण

*3845. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज एन०एच० 57 से जीरादेई शीतल साह महिला महाविद्यालय होते हुये पटेल चौक तक के सड़क एवं नाला निर्माण हेतु सरकार के द्वारा दो बार निविदा कराई गई थी, बावजूद आजतक सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं होने से सड़क जर्जर हो गयी है जिससे लोगों में भारी आक्रोश है, जबकि वर्णित सड़क फारबिसगंज शहर में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित सड़क-सह-नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3846. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी अंचल के अंचाधिकारी द्वारा बालू के ओवरलोडिंग चेकिंग के दौरान नाजायज ढंग से रुपये वसूली का कार्य किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचलाधिकारी की कृत्यों की जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल का जीर्णोद्धार

*3847. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के प्रथमवर्गीय पशु अस्पताल, मानसी का भवन एवं जिला पशु अस्पताल की चहारदीवारी ध्वस्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भवन एवं चहारदीवारी का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क-सह-नाला निर्माण

*3848. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत नगर विधान सभा क्षेत्र के नाका नं० 6 लहेरियासराय से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डी०एम०सी०एच० लहेरियासराय, दरभंगा तक जर्जर सड़क के कारण मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण नाला सहित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*3849. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत दिघवारा में कार्यपालक पदाधिकारी का पद विगत 2 माह से रिक्त होने के कारण नगर पंचायत में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर कार्यपालक पदाधिकारी की पदस्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि श्रीमती जया, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दिघवारा के पद पर पदस्थापित है । सम्प्रति श्रीमती जया मातृत्व अवकाश में है । विभागीय अधिसूचना सं० 587, दिनांक 4 मार्च, 2022 द्वारा श्रीमती जया के मातृत्व अवकाश अवधि में श्री किशोर कुणाल, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा बाजार को अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर पंचायत, दिघवारा का कार्य करने हेतु अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । अत: नगर पंचायत, दिघवारा का विकास कार्य अवरुद्ध नहीं है ।

ट्रेनिंग दिलाना

*3850. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पैक्स अध्यक्षों को 15 दिनों की ट्रेनिंग देने के लिये ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारण में 12,000 रुपये का ड्राफ्ट एक वर्ष पूर्व जमाकर दिये जाने के बाद भी अभीतक ट्रेनिंग नहीं दी गयी है जिसके कारण खाद का लाईसेंस पैक्स अध्यक्षों को प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्वी चम्पारण जिला के पैक्स अध्यक्षों को ट्रेनिंग दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*3851. श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन (क्षेत्र संख्या-145 साहेबपुर कमाल)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021-22 में बेगूसराय जिला के प्रखंड बलिया एवं साहेबपुर कमाल के क्रमशः भवनान्दपुर, ताजपुर, संदलपुर, समस्तीपुर, पंचायतों में आयी बाढ़ से हुई फसल नुकसान का मुआवजा अभीतक किसानों को नहीं मिला है, यदि हाँ, सरकार उक्त पंचायतों के किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सदस्य बनाना

*3852. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड में गिसारा पैक्स में सदस्य बनने के लिये तीन सौ पचास लोगों ने कॉपरेटिव बैंक में 11 रुपये जमा कर रसीद लगभग चार वर्ष पहले कटा चुके हैं, परन्तु अभीतक किसी को सदस्य नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

योजना चलाना

*3853. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कई किस्म के मिनिरल से भरपूर चीना, सामा और कोदो जैसी फसल प्रोत्साहन के अभाव में विलुप्त होते जा रहे हैं तथा दलहन, तिलहन एवं मसालों तथा मसुर, खेसारी, चना, मुंग, राई, सरसों, तीसी (अल्सी), हल्दी, लहसुन, धनिया आदि की खेती एवं उत्पादन लगातार घटता जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त फसलों को बचाने एवं खेती में वृद्धि के लिये सरकार कोई विशेष प्रोत्साहन योजना चलाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल मुहैया कराना

*3854. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रूपौली, भवानीपुर एवं बडहडाकोठी प्रखंडों में नल-जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में जलमीनार पाइप लाइन का कार्य हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग के द्वारा सही देख-रेख नहीं होने के कारण जलापूर्ति बंद है ;

(3) यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उपभोक्ता को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जागरूकता कार्यक्रम चलाना

*3855. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना के तहत कृषि उत्पादक संगठनों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी (अनुदान) दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ऐसी जन लाभकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में चंद संगठनों को ही इनका लाभ मिल पाता है और आवंटन का बड़ा हिस्सा लौट जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना का लाभ अधिकाधिक किसानों को पहुँचाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय-सह-स्नानागार का निर्माण

*3856. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय-सह-स्नानागार नहीं रहने के कारण कोतवाली चौक, थाना चौक, बाबू साहेब चौक, सिंघीनिया चौक, वाटसन स्कूल, शिव गंगा स्कूल, सुडी स्कूल, मधुबनी सिविल कोर्ट कैम्पस में रहने वाले लोगों को भारी कठिनाई होती है तथा इसके संबंध में स्थानीय पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय-सह-स्नानागार का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वासगीत पर्चा देना

*3857. श्री अवधेश सिंह (क्षेत्र संख्या-123 हाजीपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के हाजीपुर नगर परिषद् क्षेत्र के अम्बेदकर कॉलोनी एवं वैशाली महाविद्यालय के निकट ननगोला कॉलोनी में पचास वर्ष से निवास करने वाले भूमिहीनों को भूमि का वासगीत पर्चा नहीं दिये जाने के कारण ये लोग सरकारी लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कॉलोनी में निवास कर रहे भूमिहीनों को वासगीत पर्चा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल खोलना

*3858. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनिया प्रखंड के पदमा गाँव में स्थित पशु अस्पताल विगत 10 वर्षों से बंद पड़ा है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र की जनता को अपने पशुओं के चिकित्सकीय कार्यों में कठिनाई होती है, साथ ही आये दिन समुचित चिकित्सा के अभाव में उनके पशुओं को जान गवानी पड़ती है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति होती है तथा पशु अस्पताल के जमीन को असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण भी कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पदमा गाँव के पशु अस्पताल को कबतक पुनः खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि उपलब्ध कराना

*3859. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के निर्माण हेतु वर्ष 2017 में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी प्रखंड स्थित फुर्सतपुर ग्राम के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय हेतु अधिग्रहित भूमि के भू-स्वामियों को मुआवजा राशि देने संबंधित मामले का निपटारा भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा अभीतक नहीं किया गया है जिससे उन्हें अपने बच्चों की शादी, पढ़ाई एवं चिकित्सा कराने में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राधिकार द्वारा विश्वविद्यालय हेतु अधिग्रहित भूमि के भू-स्वामी किसानों को मुआवजा राशि देने से संबंधित मामले का यथाशीघ्र निपटारा कर उन्हें ससमय मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*3860. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वास्तविक कागजात देने के बाद भी प्रखंड जिला स्तर पर सरकार द्वारा वर्षों से नया राशन कार्ड बनाना बंद कर दिया गया है एवं जिन उपभोक्ताओं का राशन कार्ड निष्क्रिय है, उनका भी राशन कार्ड का नवीकरण नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रताधारी लाभुक परिवारों को राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है, जिसे बन्द नहीं किया गया है।

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत राशन कार्ड निर्गमन/संशोधन/रद्दीकरण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रखंड कार्यालय में स्थित आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर आवेदकों द्वारा राशन कार्ड निर्गमन हेतु आवेदन जमा किया जाता है। तदोपरांत पंचायत स्तरीय कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा जाँचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में राशन कार्ड निर्गत किया जाता है।

राज्य में राशन कार्ड निर्गमन, नाम जोड़ने/हटाने आदि हेतु RCMS (Ration Card Management System) की प्रणाली कार्यरत है जिसके अन्तर्गत पात्र परिवारों को ससमय राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु ऑन लाइन राशन कार्ड निर्गमन सेवा epds.bihar.gov.in पर प्रारंभ की गयी है। इसका लिंक विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/fcp पर भी उपलब्ध है।

विगत 2 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका तथा शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर विशेष अभियान चलाते हुए 34.61 लाख से अधिक नये राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

दखल कब्जा दिलाना

*3861. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत प्रखंड मसौढ़ी के ग्राम-हांसाडीह में मौजा 80 भदौरा, थाना नं0 218, खाता नं0 180, खेसरा नं0 265, रकबा-0.03 डिसमिल, ग्राम-भखरा में मौजा 15 भदौरा, थाना नं0 191, खाता नं0 62, खेसरा नं0 269, एराजी 0.02 डीसमील महादलित भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार द्वारा मालिक गैर-मजरुआ जमीन का पर्चा दिया गया था, उक्त जमीन को अबतक पर्चाधारी को दखल कब्जा नहीं दिलाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बन्दोबस्तधारी भूमिहीनों को जमीन पर दखल कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मूल्य निर्धारण करना

*3862. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित पूरे बिहार में किसानों द्वारा पर्याप्त मात्रा में मक्के की फसल उपजाने के बावजूद भी मक्का की खरीद सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मक्का के फसल को एमएसपी के अन्तर्गत लाकर सरकारी दर पर मूल्य निर्धारण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3863. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत पैक्स अध्यक्ष मडैया द्वारा ग्राम पंचायत राज मडैया पैक्स के भवन का निर्माण ग्राम पंचायत राज गौरा (लक्ष्मीपुर) के खाता नं0 256, खेसरा नं0 1793 में करा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पैक्स भवन तक आमजनों के पहुंचने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*3864. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केंद्र एवं राज्य प्रायोजित बागवानी मिशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक हाईब्रीड सब्जी, बीज उत्पादन, उत्पादकता पर MIDH के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त केंद्र, राज्य बीज संगठन इत्यादि एजेंसी से सब्जी बीज का नाम, प्रजाति, दर निर्धारण के लिए भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना में शामिल नहीं है, जिससे किसानों के खाते में भुगतान नहीं कर एजेंसी को भुगतान किया जाता है, फलस्वरूप लाभुक किसानों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित योजना के तहत एजेंसी को भुगतान न कर सीधे लाभुक कृषकों के खाते में राशि का भुगतान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूरा कराना

*3865. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड के चापुक पंचायत के ग्राम-चापुक के वार्ड नं0 4 तथा मलहद पंचायत के ग्राम-गंगटी के वार्ड नंबर 4 के नल-जल की योजना का कार्य आधा-अधूरा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जगहों पर नल-जल योजना की जांच कराकर जल्द-से-जल्द अधूरा कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*3866. श्री अवध विहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सीवान)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग,-यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के नगर परिषद् के वार्ड नं० 02 में सीवान कचहरी रेलवे ढाला के पूरब कृष्णा मिष्ठान भंडार के सामने से पूरब होकर छैंटिया बाबा ब्रहमस्थान राजेन्द्र उद्यान, गोपालगंज मोड़ से पश्चिम तरफ से होकर विद्या भवन महिला महाविद्यालय एवं जिला उद्योग केन्द्र के आगे तक की सड़क में नाला नहीं रहने के कारण जल-जमाव रहता है, यदि हाँ, तो सरकार स्लैब के साथ आर०सी०सी० नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि सीवान नगर परिषद् के वार्ड नं० 02 में सीवान कचहरी रेलवे ढाला के पूरब कृष्णा मिष्ठान भंडार के सामने से पूरब होकर छैंटिया बाबा ब्रहमस्थान राजेन्द्र उद्यान, गोपालगंज मोड़ से पश्चिम तरफ होकर विद्या भवन महिला महाविद्यालय एवं जिला उद्योग केन्द्र के आगे तक लगभग 2,000 फीट में नाला नहीं है।

विदित हो कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर परिषद्, सीवान को षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रमशः रु० 1641.81367 लाख (सोलह करोड़ एकतालीस लाख एकासी हजार तीन सौ सड़सठ रु०) मात्र एवं रु० 972.18444 लाख (नौ करोड़ बहत्तर लाख अठारह हजार चार सौ चौवालीस रु०) मात्र प्राप्त हुआ है। इस आवंटित राशि से नाला निर्माण भी कराया जा सकता है।

तद्नुसार नगर परिषद्, सीवान के बोर्ड द्वारा यदि इस नाला के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन नगर परिषद्, सीवान द्वारा कराया जा सकेगा।

वृद्धाश्रम का निर्माण

*3867. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री ''वृद्धजन आश्रय स्थल योजना'' अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में दो-दो एवं सभी 101 अनुमंडलों में 50-50 बेडों का एक-एक वृद्धाश्रम बनाने की योजना है जिसमें 6950 बेघर बुजुर्गों को अपना घर मिल सकेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि वृद्धाश्रम के संचालन के लिये 11 एजेंसियों का चयन विभाग द्वारा किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में एवं अनुमंडलों में वृद्धाश्रम का निर्माण कराने/संचालित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सफाई कराना

*3868. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत नगर

पंचायत, बहादुरगंज में डोर-टू-डोर कचड़ा उठाव एवं सफाई प्रतिदिन न कर सप्ताह में सिर्फ एक दिन सफाई किया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये डोर-टू-डोर कचड़ा उठाव एवं सफाई कार्य सुचारू रूप से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*3869. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने दीघा में लगभग 1034 एकड़ जमीन लोगों को बिना मुआवजा भुगतान किये 1974 में अधिग्रहण किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना उच्च न्यायालय ने सी०डब्लू०जे०सी० नं० 17769/18 में मुआवजा भुगतान का आदेश पारित किया किन्तु अबतक भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 2016 भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित भूमि का न्यायालय के आदेश के तहत मुआवजा का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों की पदोन्नति

*3870. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार कृषि सेवा वर्ग-09 के पदाधिकारियों को पद रिक्त रहने के बावजूद भी वर्ग-01 में पूर्व के तरह वर्ष 2009 से पदोन्नति नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कृषि सेवा वर्ग के पदाधिकारियों को पदोन्नति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देना

*3871. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड के धुरियाही, बघार, नीमा, उत्तरी कांटाकोश पंचायत के लगभग 1,000 किसानों को अगस्त, 2021 में आई बाढ़ से फसल क्षति का अनुदान अबतक प्राप्त नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार उन किसानों को फसल क्षतिपूर्ति अनुदान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा देना

*3872. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कलेर प्रखण्ड के जयपुर अन्तर्गत सबजपुरा, जयपुर का टोला है जबकि सबजपुरा गाँव का रकबा जयपुर और सबजपुरा समेत 26 एकड़ में सबजपुरा गाँव (टोला) का रकबा 1,000 एकड़ है, गाँव में चार वार्ड है फिर भी सरकार के द्वारा रेवेन्यू गाँव घोषित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार सबजपुरा गाँव को रेवेन्यू ग्राम का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थाई पट्टा देना

*3873. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 विक्रम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर स्थित दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती के अधीन दीघा निधि योजना का वर्ष 2014 में गठन किया गया, जिसका उद्देश्य जमीन मालिक और मकान मालिक से बिहार आवास बोर्ड द्वारा तय राशि का भुगतान करने के पश्चात् उक्त लोगों को स्थाई भूमि स्वामित्व पट्टा निर्गत किया जाना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014—18 तक मात्र 17-18 लोगों को ही स्वामित्व स्थाई पट्टा (Dead of perpetual lease) निर्गत किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शेष बचे लोगों को स्थाई पट्टा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिभाईडर का निर्माण

*3874. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के नवगठित ताजपुर नगर परिषद् एवं पटोरी नगर परिषद् चन्दन चौक से यादव चौक तक एवं हॉस्पिटल चौक से नीम चौक तक हमेशा जाम लगा रहता है, जिससे आमजनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार हॉस्पिटल चौक से नीम चौक तक एवं पटोरी नगर परिषद् चन्दन चौक से यादव चौक तक डिभाईडर का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों को भरना

*3875. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 मार्च, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''राजस्व विभाग में 77 फीसदी पद हैं खाली'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो सहित अन्य पदों में लगभग 11,173 पद रिक्त हैं जबकि सहायक के 49 पद, प्रशाखा पदाधिकारी के 15 पद, चकबंदी पदाधिकारी के 18 पद, सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी के 18 पद, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 18 पद, अंचलाधिकारी के 29 पद एवं डी०सी०एल०आर० के 21 पद रिक्त हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यालय जिला एवं अंचल कार्यालय में कुल स्वीकृति 12,818 पद में 9894 पद तथा जिला स्तरीय संवर्ग में 6694 अमीन के पद में 1767 पद रिक्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक रिक्त पदों को भरना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक शौचालय निर्माण कराना

*3876. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के शाहकुण्ड

बाजार में बहुत भीड़ रहती है, परन्तु बाजार में एक भी शौचालय नहीं रहने के कारण महिलाओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार शाहकुण्ड बाजार में एक सामुदायिक शौचालय बनाने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

धान क्रय करना

*3877. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला में पैक्स के पास पर्याप्त मात्रा में फसल खरीद के लिये राशि के न रहने के कारण उपज का मात्र 35 प्रतिशत ही धान खरीद हो सका है और किसान धान बेचने के लिये परेशान हैं, यदि हाँ, तो सरकार पहले से दुगनी राशि पैक्स को मुहैया कराकर किसानों का धान पैक्स के माध्यम से खरीदवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार जहानाबाद जिला में धान का अनुमानित उत्पादन 2.60 लाख मे०टन था । अनुमानित धान उत्पादन के परिपेक्ष्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 1.00 लाख (38.46 प्रतिशैत) मे०टन निर्धारित किया गया था ।

उक्त लक्ष्य के विरुद्ध निर्धारित अवधि (दिनांक 15 फरवारी, 2022) तक जहानाबाद जिले में 89 पैक्स एवं 4 व्यापार मंडलों के माध्यम से 17522 किसानों से 99902.71 मे०टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग शत-प्रतिशत है । धान अधिप्राप्ति हेतु समितियों को वांछित कैश-क्रेडिट की राशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं चावल (CMR) की राशि प्राप्त होने पर चक्रिय क्रय व्यवस्था संभव हुआ । जिसके कारण जिले द्वारा समय-सीमा के अन्दर लगभग शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करते हुये किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 196.30 करोड़ रुपये का भुगतान ससमय उनके खाते में कर दिया गया है ।

डेयरी स्थापना करना

*3878. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला में बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वहां से सारा दूध बरौनी डेयरी प्लांट में भेजा जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खगड़िया जिला में डेयरी की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वयन कराना

*3879. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड के मीरपुर पंचायत के ग्राम-मीरपुर में तथा वर्मा खुर्द पंचायत के ग्राम-जाजापुर में आजतक सात निश्चय योजना के अंतर्गत नल-जल योजना का लाभ नहीं पहुँचाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-मीरपुर में तथा ग्राम-जाजापुर में नल-जल योजना को कबतक कार्यान्वित कराना चहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*3880. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड में निबंधन कार्यालय में निबंधक के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री में भारी अनियमितता बरती जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में जो भूमि दो सफल दे चुकी है, उसे बंजर बताकर भूमिदाता से अतिरिक्त राशि की वसूली की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बहादुरगंज के निबंधन कार्यालय में क्रिया-कलापों की जाँच कराते हुये दोषी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्र का विकास कराना

*3881. श्री विजय शंकर दुबे (क्षेत्र संख्या-112 महाराजगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के महाराजगंज नगर परिषद् में विभिन्न योजनाओं के लिये 5 करोड़ की राशि नगर परिषद् के आपसी विवाद के कारण लंबित पड़ी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर परिषद् में लंबित राशि से महाराजगंज नगर परिषद् क्षेत्र का विकास कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

गंगाघाट का पक्कीकरण

*3882. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के मनिहारी गंगाघाट का पक्कीकरण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गंगाघाट का पक्कीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराना

*3883. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के काराकाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड काराकाट (गोड़ारी) को नये नगर पंचायत में शामिल किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नये नगर पंचायत मुख्यालय के नजदीक मैरेज हॉल के पास सरकारी जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है तथा इस संबंध में स्थानीय पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नगर पंचायत मुख्यालय के नजदीक मैरेज हॉल के पास उपलब्ध जमीन पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कराने की इच्छा रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, काराकाट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत, काराकाट मुख्यालय के नजदीक मैरेज हॉल उपलब्ध नहीं है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि नगर पंचायत, काराकट नवगठित पंचायत है, जिसे बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। बोर्ड के गठन होने के उपरांत सामुदायिक शौचालय का निर्माण पर निर्णय लिया जा सकेगा।

कार्रवाई करना

*3884. <u>श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)</u>--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्लांट अभियंता-सह-क्षेत्रीय प्रबंधक, कुदरा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु बिहार राज्य बीज निगम, पटना मुख्यालय द्वारा कार्यालय आदेश 1480, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 के द्वारा जाँच कमिटी गठित की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि जाँच कमिटी द्वारा सभी बिन्दुओं पर जाँच के उपरांत प्लांट अभियंता-सह-क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा के आधार पर इनकी सेवा पैतृक विभाग में वापस करने एवं उचित कानूनी क़ार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, परन्तु जाँच कमिटी के आदेश को नजर अंदाज करते हुये प्लांट अभियंता-सह-क्षेत्रीय प्रबंधक को कुदरा से हटाकर उसी पद पर भागलपुर में विभागीय कार्य लिया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

निर्माण कार्य कराना

*3885. <u>श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)</u>--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में नाली-गली योजना में स्वीकृत 500 योजनाओं में से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 51 योजनाओं का निविदा किया गया जिसमें से सिर्फ 10 योजनाओं पर ही कार्य प्रारंभ है, जबकि 38 योजनाओं का कार्य आज भी लटका हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 437 नाली-गली योजना चिन्हित एवं स्वीकृत है जिसका निविदा प्रकाशित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्वीकृत योजनाओं का निर्माण कार्य करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 31 मार्च, 2022 (ई०)।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०-130 (एल०ए०), 2021-22 डी०टी०पी०-550

सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 10 चैत्र, 1944 (श०) / 31 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-01

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग 01

कुल योग 01

बस पड़ाव का निर्माण

'अ' ***3334.** <u>श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)</u> - क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कुर्सेला बाजार से एन०एच० 31 एवं एस०एच० 77 गुजरती है, जहाँ बस पड़ाव नहीं होने के कारण सड़क किनारे ही गाड़ी खड़ी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कुर्सेला बाजार में बस पड़ाव का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट :- 'अ' - दिनांक 29.03.2022 को सदन द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को स्थानान्तरित ।

शैलेन्द्र सिंह

पटना

दिनांक-31 मार्च, 2022 (ई०) ।

सचिव,

बिहार विधान सभा ।